

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या - २७०१/रा.

दिनांक - २२-११-१३

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - चनौली, थाना - कटरा, थाना नं०- २३६, परगना - तिरसठ, जिला - मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बागमती वायों तटबंध निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण आपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम - चनौली के भीतर भूमि का एक/कई टुकड़े आपेक्षित हैं जो मानक माप से कम बेस x बीघा x कच्चा x धूर है जो १५.८९ एकड़ के बराबर है और जिसका प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :-

अर्जनाधीन भूमि :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - ५७७, ५७८, ५८४, ५८७, ५८५, ५८८, ५९०, ५९१, ५९२, ५९४, ५९३, ५८१, ५८३, ५८२, ५९९, ६०८, ६०७, ६०९, ६१६, १२१५, १२१४, १२१३, १२१२, १२१०, १२०९, १२०८, १२०७, १२०२, १२०३, १२०४, १२०६, ११९८, ११९९, १२००, १२०१, ११९०, ११९१, १३१८, ११८४, ११८३, १३३१, १३३२, १३३०, १३२९, १३३८, १३३९, १३४०, १३४३, १३४५, १३४४, ११५५, १३६१, १३६०, १३६२, १३६३, १३८१, १३८७, १३८८, १३८०, १३७९, १३७२, १३७१, १३६९, १३७०, १३६८, १३९५, १३९४, १३९६, १३९८, १३९९, १४००, ६१०, एवं ५९५ तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या ५८९, ५८६, १२११ एवं १२०५

चौहद्दी

उत्तर :- सीमा रेखा मौजा तेहवारा, थाना नं०-२१७ .

पूरब :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - ५०८, ५९०, ५९१, ५९२, ५९४, ५९३, ५८१, ५९९, ६०७, ६०९, १०६६, १०६७, १२१५, १२१४, १२१३, १२१२, १२०८, १२०७, १२०६, ११९८, ११९९, १२००, ११९१, १९९०, १३१८, १३३०, १३२९, १३४५, १३४४, १३६०, १३८१, १३८७, १३८८, १३९४, १३९६, १३९८, १३९९ एवं १४०० तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - १२१६, १३९२, एवं १३९८

दक्षिण :- सीमा रेखा मौजा महेशवारा असली, थाना नं०-२४१ .

(P.T.O.)

पश्चिम :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 805, 577, 584, 587, 585, 583, 582, 581, 610, 616, 1066, 1067, 1210, 1209, 1202, 1203, 1204, 1201, 1200, 1190, 1184, 1183, 1331, 1332, 1330, 1338, 1339, 1340, 1343, 1155, 1361, 1362, 1363, 1380, 1379, 1372, 1371, 1369, 1370, 1368 एवं 1395 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 611, 1189, 1337 एवं 1373

यह अधिसूचना (बिहार अधिनियम 11,1961 द्वारा यथा संशोधित) अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

उक्त भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना मुजफ्फरपुर के कार्यालय में कार्य दिवस को देखा जा सकेगा।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त 15.89 एकड़ भू-खण्ड में 15.89 एकड़ कृषि योग्य एवं X एकड़ आवासीय, X एकड़ वंजर, तथा X एकड़ रास्ता है तथा उसका तुरन्त अर्जन आवश्यक है इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधिन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबन्ध भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

प्र० कानूनगो मुजफ्फरपुर	वि० भू-अ० पदा० गं० यो०, मुज०	अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर	समाहर्ता मुजफ्फरपुर
----------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------

बिहार राज्यपाल
के आदेश से

२० -
सरकार के अवर सचिव

संख्या - २७०१/२७

पटना, दिनांक :- २२-११-१३

प्रतिलिपि :- उपसमाहर्ता प्रमारी जिला गजट शाखा मुजफ्फरपुर को जिला गजट के अगले असधारण अंक दिनांक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित 10 अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार पटना को तीन प्रतियों में सी०डी० सहित दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन की सूचना यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(P.T.O)

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक
दिनांक- के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2210 दिनांक 6.6.2013
के क्रम में सूचनार्थ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक 446 दिनांक 20.5.2013 के क्रम में
सूचनार्थ।

~
20/11/13
सचिव के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार, पटना।
~